न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 10/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/289
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 16/04/2024

1. हुकम आयु 52 साल पुत्र धर्मी जाति माली निवासी करबा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमचंद पुत्र दौजी जाति माली निवासी कस्बा तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. राज. सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार नदबई।

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार एड.(प्रार्थी की ओर से)
श्री सुरेश एड.(अप्रार्थी की ओर से)

:: **निर्णय**:: प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत् पेश किया गया जो संक्षेप में इस प्रकार है–

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह है कि विवादित आराजी खसरा सं. 235 के आराजी खसरा नंबर 757 रकबा 0.34 व आराजी खाता सं. 63 के आराजी खसरा नंबर 773 रकबा 0. 32, 774 रकबा 0.54 किता 2 रकबा 0.86 वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है। नकल जमाबंदी सं. 2074 व 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
3. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 5 लगायत 21 की मुश्तरका खातेदारी काश्तकार की सम्मिलित आराजी है। जिस पर प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण सं. 5 लगायत 21 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। लेकिन अप्रार्थी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:49:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

1 के मन में बदनीयति आ गई है। जिसके कारण से वह विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी में से आराजी खसरा नंबर 757 रकबा 0.34 हैक्टेयर को रहनवयमुन्तकिल करने पर आमादा है। तथा प्रार्थी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। और डौर मेंड लगान आदि पर आपस में तनाजा बना रहता है। जिसके कारण से अब शामिल काश्त करना संभव नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के बाबत तनाजा को देखते हुए प्रार्थी विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी का प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 5 लगायत 21 के मध्य उनके रिकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार नियमानुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के कुरेजात कायम कर अलग अलग खाता लगान कायम करा पाने का मुश्तहक है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करा पाने का अधिकारी है।

4. यह कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी को वमुकाम कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई जिला भरतपुर पर दिनांक 15.01.2022 को यह एलानियां धमकी दी है कि वह विवादित आराजी व वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थनापत्र की आराजी को रहनवयमुन्तकिल कर देगा तथा प्रार्थी को प्रार्थी की आराजी से बेदखल कर देगा तथा प्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है यदि प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गए तो प्रार्थी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से नहीं हो सकेगी अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

5. यह कि प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर अप्राथीगण को ता. फेसला मुकदमा अस्थायी निषेधाज्ञा से पबांद किया जावे कि वो विवादित आराजी वर्णित चंरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी में मदाखलत मजाहमत न करे रहनवयमुन्तकिल न करे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें व ऐसा कोई कार्य न करे जिससे वादी प्रार्थी के अधिकारों पर जबाल आये। शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी की तरफ से श्री सुरेश माहुरे एडवोकेट उपस्थित हुये, जिनके द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो इस प्रकार है–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 गलत होने से स्वीकार नहीं। दावा कानूनी रूप से सही नहीं है इसलिए कब्जा की उम्मीद का सवाल ही पैदा नहीं होता है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र मद सं. 2 स्वीकार है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र मद सं. 3 में वर्णित आराजी के संबंध में डौर मैड को लेकर कोई झगडा फसाद नहीं है तथा लगान पर भी कोई विवाद नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:49:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

है बल्कि प्रार्थी गैरसायल संख्या 1 को वादी लठ्ठ के बल पर उसके हिस्से पर काश्त नहीं करने देता है और जबरन प्रार्थी गैर सायल संख्या 1 के हिस्से की आराजी को हड़पने पर आमादा है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 गलत होने से स्वीकार नहीं है। क्योंकि प्रार्थी गैरसायल संख्या 1 ने दिनांक 15.01.2022 को व अन्य किसी तिथि को कोई धमकी नहीं दी है। सारे तथ्य मनगढ़न्त हैं। जो स्वीकार नहीं है। वादी को प्रार्थी गैरसायल संख्या 1 से कोई रिलीफ नहीं है बल्कि प्रार्थी गैरसायल संख्या 1 की जमीन पर ही वादी काश्त नहीं करने देता है।
5. यह कि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन सायल के हक में न होकर प्रार्थी गैरसायल सं. 1 के हक में सिद्ध होता है।
6. यह कि प्रार्थना सायल गलत होने से स्वीकार नहीं है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि जबाव प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2074–2077 एवं प्रार्थी वकील द्वारा 2011–12 आरआरटी 463 अपने प्रार्थना–पत्र के समथ्रन में पेश किए गए।

हमने उभयपक्षकारान के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के विद्वान वकील की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की ओर से कथन रहे कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजी खसरा सं. 235 के आराजी खसरा नंबर 757 रकबा 0.34 व आराजी खाता सं. 63 के आराजी खसरा नंबर 773 रकबा 0.32, 774 रकबा 0.54 किता 2 रकबा 0.86 वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार काश्तकार हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने सहमति पत्र दिनांक 31.08.2021 में लिखा कि वह अपना संपूर्ण हिस्सा धर्मी व उसके वारिसान को बाहिस्सा बराबर देने के लिए सहमत है। प्रत्येक सहखातेदार काश्तकार का विवादित आराजीयात के प्रत्येक इंच पर कब्जा है। कौनसा हिस्सा किसकों मिलना है यह दावे के निस्तारण में तय किया जाएगा। अप्रार्थी वकील की ओर से कथन रहे कि मैं केवल 757 खसरा नंबर में 1/8 हिस्से का हिस्सेदार हूं तथा कानूनी रूप से एक खातेदार दूसरे खातेदार को पाबंद नहीं कर सकता। मुझ अप्रार्थी को सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है जो सहमति पत्र पेश किया गया वह रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है तथा किसी भी हिस्सेदार को रिकॉर्ड में पाबंद न[illegible] अप्रार्थीगणों को विवादित आराजीयात विरासत से प्राप्त हुई है।

1. पृथमदृष्टया केस :– प्रार्थी द्वारा अपने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53/1[illegible] आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र 212 आरटीए का [illegible] प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजी खसरा सं. 235 के आराजी खसरा नंबर 757 रकबा 0.34 व आराजी खाता सं. 63 के आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dh[illegible]
Meena
Date: 2025.06.23 14:49:33 IS[illegible]
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

खसरा नंबर 773 रकबा 0.32, 774 रकबा 0.54 किता 2 रकबा 0.86 वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है। नकल जमाबंदी सं. 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संबत 2074 से 2077 में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बरान पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं दावा में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 के सहखातेदारी का अंकन हो रहा है, उक्त विवादित आराजीयात का कानूनन रूप से विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजीयात का सम्मिलित काश्तकार के रूप में उपयोग में ली जा रही है। जब तक विवादित आराजीयात का विधिवत रूप से कानूनन बटवारा न हो जाये तब तक प्रत्येक सहखातेदार काश्तकार का प्रत्येक इंच पर अपना हक व हिस्सा निहित रहता है। वाद की विषयवस्तु को सुरक्षित रखने हेतु वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित है। अतः प्रथमदृष्टया केस प्रार्थी के हक में बखूबी साबित होता है।

2. **सुविधा का सन्तुलन** :– सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है।

3. **अपूर्णीय क्षति** :– चूंकि प्रकरण विभाजन का है, अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जाता है तो विवादित आराजीयात का खुर्द–बुर्द होने का अंदेशा रहेगा तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन होगा जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दु प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है। क्यांकि पृथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है, एवं सम्मिलित खातेदारी काश्तकारी आराजीयात के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का अपना हिस्सा हक निहित रहता है। अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा सं. 235 के आराजी खसरा नंबर 757 रकबा 0.34 व आराजी खाता सं. 63 के आराजी खसरा नंबर 773 रकबा 0.32, 774 रकबा 0.54 किता 2 रकबा 0.86 वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई की दावे के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को न्यायालय द्वारा जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 07.02.2022 ताफैसला कन्फर्म किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक ....16.04.24.... को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी किया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:49:33 IST
Reason: SelfAttested

(गंगाधर मीना)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)